भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1432** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **10 फरवरी**, 2023/21 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बड़े और छोटे पत्तन

†**1432. डॉ. राजश्री मल्लिक :**
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :
श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कार्यरत और विकास के लिए चिन्हित बड़े, मध्यम और लघु पत्तनों का गुजरात और तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इनकी कार्गो हैंडलिंग क्षमता और इनमे से प्रत्येक पत्तन द्वारा संभाली गई कार्गो का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रमुख पत्त्नों पर बर्थ टर्मिनलों का प्रचालन और रख-रखाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कितने पत्तन संचालित और चलाए जा रहे हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निजीकृत किए गए सरकारी पत्तनों का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) गुजरात और तमिलनाडु में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किए जा रहे नए पत्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ग) : केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं और ये सभी महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित 12 महापत्तन हैं। इन महापत्तनों में परियोजनाओं/ बर्थों/ टर्मिनलों के लिए नियत अवधि के रियायत करार के माध्यम से सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है जिसके अंतर्गत रियायतप्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व हिस्सेदारी/ रॉयल्टी भुगतान के आधार पर बोली प्रक्रिया अपनाई जाती है। रियायत अवधि समाप्त होने पर पत्तन परिसंपत्ति, पत्तन प्राधिकरण को लौटा दी जाती है। देश में 213 गैर-महापत्तन हैं जिनका प्रबंधन और नियंत्रण संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों/ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य समुद्री बोर्ड/ राज्य सरकारें, सार्वजनिक-निजी- भागीदारी (पीपीपी) में पत्तन का विकास और प्रचालन करने के लिए निजी प्रचालक के साथ रियायत करारनामा करते हैं। महापत्तनों के मामले में 272 बर्थों में से 79 बर्थें पीपीपी मोड में प्रदान की गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित 12 महापत्तनों और समुद्री बोर्डों सहित राज्य प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित गैर-महापत्तनों के संबंध में सूचना **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) : वित्त वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सभी महापत्तनों की क्षमता और संभाला गया यातायात (मिलियन टन में) पत्तन-वार निम्नानुसार है:

पत्तन	क्षमता 2019-20	यातायात 2019-20	% उपयोग	क्षमता 2020-21	यातायात 2020-21	% उपयोग	क्षमता 2021-22	यातायात 2021-22	% उपयोग
एसएमपी, कोलकाता (हल्दिया सहित)	82.57	63.98	77.49	90.77	61.37	67.61	92.77	58.17	62.70
पारादीप	249	112.69	45.26	259.00	114.55	44.23	289.75	116.13	40.08
विशाखापट्टणम	134.18	72.72	54.20	134.18	69.84	52.05	134.18	69.03	51.45
कामराजर (एन्नोर)	91.00	31.74	34.88	91.00	25.89	28.45	91.00	38.74	42.57
चेन्नै	135.00	46.76	34.64	135.00	43.55	32.26	135.00	48.56	35.97
वी. ओ. चिदंबरनार	111.46	36.08	32.37	111.46	31.79	28.52	111.46	34.12	30.61
कोचीन	78.60	34.04	43.31	78.60	31.50	40.08	78.60	34.55	43.96
नव मंगलूर	104.73	39.14	37.37	104.73	36.50	34.85	108.96	39.30	36.07
मुरगांव	63.40	16.02	25.27	63.40	21.99	34.68	63.40	18.46	29.12
मुंबई	79.00	60.70	76.84	84.00	53.32	63.48	84.00	59.89	71.30
जे.एन.पी.ए.	138.87	68.45	49.29	141.37	64.81	45.84	141.37	76.00	53.76
दीनदयाल	267.10	122.61	45.90	267.10	117.57	44.02	267.10	127.10	47.59
कुल	**1534.91**	**704.93**	**45.93**	**1560.61**	**672.68**	**43.10**	**1597.59**	**720.15**	**45.07**

सभी महापत्तनों में संभाला जा रहा औसत कार्गो लगभग 45% है। इन आंकड़ों का निहितार्थ यह नहीं है कि बर्थों का पूर्णत: प्रयोग नहीं किया जा रहा। बर्थ क्षमता को कुछ हद तक यह सुनिश्चित करने के लिए बेकार/खाली पड़े रहने देना आवश्यक होता है कि जलयान के पहुंचने पर तत्काल उसकी सर्विस की जा सके। इससे, यह सुनिश्चित होगा कि पत्तन की कुशलता को बनाए रखा जा सकता है और जलयान पर विलंब शुल्क लगने के कारण व्यापार में बाधा न आए। दूसरा यह कि महापत्तनों के माध्यम से यातायात बढ़ रहा है जबकि थोड़े से समय में क्षमता सृजन, नहीं किया जा सकता। देश की उच्च जीडीपी वृद्धि को देखते हुए, भविष्य में एक्जिम यातायात की समरूपी वृद्धि की उम्मीद की जाती है।

(घ) : देश में किसी भी पत्तन का निजीकरण नहीं किया गया है क्योंकि भूमि और वॉटरफ्रंट का स्वामित्व रियायत अवधि समाप्त हो जाने के बाद संबंधित राज्य/ केन्द्र सरकार के पास रहता है।

(ङ) : चाहरा, जाफराबाद और भावनगर स्थानों पर गुजरात राज्य सरकार के अधीन पीपीपी मॉडल में 03 (तीन) नए गैर-महापत्तन गुजरात में स्थापित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में इस समय पीपीपी मॉडल में कोई नया पत्तन नहीं बन रहा है।

भाग (ख) का अनुबंध

केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 महापत्तन नामत: दीनदयाल, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मुरगांव, नव मंगलूर, कोचिन, तूतीकोरिन (वी.ओ.चिदंबरनार) चेन्नै, एन्नौर (कामराजार), विशाखापट्टणम, पारादीप और कोलकाता पत्तन तथा 213 गैर-महापत्तन हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-महापत्तन, संबंधित राज्य/ संघ राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते है। देश में 12 महापत्तनों में 79 बर्थें पीपीपी मोड में सौंपी गई हैं।

पीपीपी मोड में महापत्तनों और गैर-महापत्तनों की बर्थों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	महापत्तन			गैर-महापत्तन *		
		महापत्तनों की सं.	पीपीपी पर बर्थों की सं.	पत्तन स्वामित्व वाली बर्थें	कार्गो हैंडलिंग करने वाले गैर-महापत्तनों की सं.	राज्य सरकार द्वारा प्रचालित पत्तन	पीपीपी माध्यम पर प्रचालित पत्तन
1	गुजरात	1	10	24	17	13	4
2	महाराष्ट्र	2	14	35	16	5	11
3	गोवा	1	3	3	1	1	0
4	कर्नाटक	1	3	14	2	2	0
5	केरल	1	5	14	4	4	0
6	तमिलनाडु	3	20	29	06	2	4
7	आंध्र प्रदेश	1	8	18	4	0	4
8	ओडिशा	1	12	8	2	0	2
9	पश्चिम बंगाल	1(एचडीसी+	4	48	1	1	0

क्र. सं.	राज्य का नाम	महापत्तन			गैर-महापत्तन *		
		महापत्तनों की सं.	पीपीपी पर बर्थों की सं.	पत्तन स्वामित्व वाली बर्थें	कार्गो हैंडलिंग करने वाले गैर-महापत्तनों की सं.	राज्य सरकार द्वारा प्रचालित पत्तन	पीपीपी माध्यम पर प्रचालित पत्तन
		केडीएस)					
10	अन्य*	0	0	0	14	14	0
	कुल	**12**	**79**	**193**	**67**	**42**	**25**

* समुद्री बोर्डों सहित राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर

*****